

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-2/X-17Pt-2 /नाम विलोपन/जोन-जोधपुर /2024/13

दिनांक:- 8/1/24

—:आदेश:—

श्री पंकज कुमार मीणा, नर्सिंग ऑफिसर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरसाणी (बाडमेर) का दिनांक 25.10.2023 को राज्य सेवा में रहते हुये मृत्यु हो जाने पर राज्य सेवा से दिनांक 25.10.2023 से एतद् द्वारा नाम विलोपन/पृथक किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कार्मिक के विरुद्ध आज दिनांक तक—

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के तहत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(सुरेश नवल)

निदेशक(अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राज0 जयपुर।

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-2/X-17Pt-2 /नाम विलोपन/जोन-जोधपुर /2024/13

दिनांक:- 8/1/24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स वेलफेयर विभाग, राज0 जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जोधपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्मिक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित है अथवा नहीं।
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरसाणी(बाडमेर)
5. प्रशासनिक अधिकारी डीपीसी अराजपत्रित/टीसी अनुभाग, मुख्यालय।
6. संबंधित कार्मिक के आश्रित को द्वारा क0सं0 4 के।
7. प्रभारी सर्वर कक्ष मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक(अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राज0 जयपुर।

RajKaj Ref  
5293796

Document certified by SURESH  
NAWAL <add4ng@gmail.com>.

Digitally Signed by Suresh  
Kumar Nawal  
Designation: Director